

परिचय:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और सीएसआर पर दिये गये स्पष्टीकरणों जिनमें निगम मामले के मंत्रालय का परिपत्र नं. 2014 का 21 (सहायक निदेशक का पत्रांक 05/01/2014 - सीएसआर दि.18.06.14) के अनुसार "contribution to corpus of a trust/society/section -8 companies etc. will qualify as CSR expenditure as long as (a) The Trust/Society/section-8 companies etc. is created exclusively for undertaking CSR activities or (b) where the corpus is created exclusively for a purpose directly relatable to a subject covered in Schedule-VII of the act."

कई निगम और पीएसयू ने सीएसआर कोष के जरिए रेलवे स्टेशनों पर पर्यावरण स्थिरता, सुविधाओं, स्वच्छता और कतिपय यात्री सुविधाओं से संबंधित कार्यों का दायित्व लेने की रुचि दिखायी है। इच्छुक कम्पनियों द्वारा रेलवे में सीएसआर कार्यों को हाथ में लेने की भागीदारी को बढ़ाने की दृष्टि से एक नीतिगत ढांचा तैयार किया गया है। यह ध्यान रखते हुए कि रेलवे स्टेशनों का उपयोग सभी वर्गों तथा स्तर के बहुत सारे यात्रियोंके द्वारा किया जाता है तो यह सीएसआर और पीएसयू के लिए जनसेवा का एक बड़ा अवसर होगा जिसमें वे रेलवे द्वारा स्टेशनों की सफाई हेतु किये गये प्रयासों में पूरक होंगे और वतावरण स्थिरता के कार्यों को अन्जाम देकर पर्यावरण में भी अपना योगदान दे सकेंगे।

रेलवे निगमों व पीएसयू को उन स्टेशनों के कामों को प्रायोजित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी जो विशेषकर उनके व्यवसाय/ प्रभाव क्षेत्र में आते हैं ताकि जिन कार्यों की रेलवे ने पहचान की है और जो सीएसआर के अंतर्गत करने योग्य हैं को निष्पादित कर सकें।

निगम व पीएसयू सीएसआर के अंतर्गत रेलवे के द्वारा पहचान किये गये कार्यों को निष्पादित कैसे करें उसके लिए संपूर्ण दिशा-निर्देश "रेलवे नीति" शीर्ष के अंतर्गत जारी किये गये हैं।